न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 44/2023

GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/71

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–
ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सियर्स इण्डिया के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19 ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर 302001 (राज.)	बनाम	श्री कुबेर पटेल पिता श्री खोमा जी पटेल, पता – मुकाम पोस्ट सालिया खास वाया बडोदिया, सालिया, बांसवाडा (राज.) At also – श्री कुबेर पटेल पिता खोमा जी पटेल, पट्टा नंबर. 5099, मिसल संख्या 96 दिनांक 01.12.2017, राजस्व ग्राम सालिया, ग्राम पंचायत सालिया, पं.स. बांसवाडा, तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) (ऋणी/बंधक कर्ता)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 06–12–2023

प्राधिकृत अधिकारी ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश पाटीदार ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री कुबेर पटेल पिता श्री खोमा जी पटेल, पता – मुकाम पोस्ट सालिया खास वाया बडोदिया, सालिया, बांसवाडा (राज.) At also – श्री कुबेर पटेल पिता खोमा जी पटेल, पट्टा नंबर. 5099, मिसल संख्या 96 दिनांक 01.12.2017, राजस्व ग्राम सालिया, ग्राम पंचायत सालिया, पं.स. बांसवाडा, तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) (ऋणी/बंधक कर्ता) को दिनांक **30–11–2018** को **5,00,000 (पाँच लाख रुपया)** ऋण राशि स्वीकृत की थी। अप्रार्थी नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सका और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर **दिनांक 08–06–2023** को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थी के खाते **दिनांक 12–06–2023 तक कुल बकाया राशि 5,76,803 रू.** एवं

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 11:10:01 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

तत्पश्चात ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि के भुगतान के लिए ऋणी/ अप्रार्थी जिम्मेदार है। अप्रार्थी ने ऋण राशि व उसके ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रुप में अपनी अचल सम्पत्ति को रहन किया। अचल सम्पत्ति **श्री कुबेर पटेल पिता श्री खोमा जी पटेल, पट्टा नंबर. 5099, मिसल संख्या 96** दिनांक 01.12.2017, राजस्व ग्राम सालिया, ग्राम पंचायत सालिया, पं.स. बांसवाडा, तहसील व जिला बांसवाडा में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसका कुलिया माप **1965.6 स्क्वायर फीट** जिसके **पूर्व में मौहल्ले में जाने का 10 फीट चौडा रास्ता, पश्चिम में बादला पिता कालिया का खेत, उत्तर में कानेंग पिता होमा का घर एवं दक्षिण में अमरेंग पिता तेजा का घर** है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर 2017 के अनुसार प्रार्थी ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में बैंक को शामिल किया है। जिसकी प्रति संलग्न है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक **08–06–2023** को ऋणी अप्रार्थी को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 11:10:01 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थीगणो को दिनांक **30–11–2018** को **5,00,000 (पाँच लाख रुपया)** ऋण स्वीकृत किया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है।

प्रकरण **दिनांक 22–09–2023** को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस जारी किये। अप्रार्थी का नोटिस **दिनांक 11–10–2023** को बाद तामील प्रस्तुत हुआ किन्तु अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। आज **दिनांक 06–12–2023** को भी अप्रार्थी अनुपस्थित रहे है, बार बार रुक रुक कर अप्रार्थी को सायं 04.00 पी.एम तक आवाज लगवाई गई, ऋणी/अप्रार्थी स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है। अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी/ अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक **08–06–2023** को ऋणी अप्रार्थी को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब न ही कोई कार्यवाही नही की। इस न्यायालय द्वारा भी अप्रार्थी को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये किन्तु अप्रार्थी बावजुद सूचना अनुपस्थित रहे है। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 11:10:01 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तिय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट 2002 स्वीकार किया जाकर **तहसीलदार बांसवाडा** को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात **ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सियर्स इण्डिया के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19 ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर** को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह नियमानुसार पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 06–12–2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 11:10:01 IST
Reason: SelfAttested